IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI

FORM OF ORDER SHEET

दाखिल खारिज रिविजन वाद सं0–08 / 2006

गोपाल साव

बनाम

मसो0 श्यामा देवी वगैरह

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.05.2016	आदेश यह वाद गोपाल साव पिता–बैधनाथ साव ग्राम–महुली थाना–खैरा जिला–जमुई द्वारा लाया गया जिसे अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुना गया एवं अंगीकृत किया गया। यह पुनरीक्षण वाद गोपाल साव ने निम्न न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–14 / 05 शंभु प्रसाद बनाम गोपाल साव में दिनांक 17.09.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–महुली के खाता सं0–137 खेसरा सं0–925 रकवा–1.32 एकड़ जमीन को जगदम्ब प्रसाद सहाय पिता–गोपी प्रसाद ने दिनांक 10.07.1926 को खतियानी रैयत झगरू साव के पुत्र भीखन साव से निबंधित केवाला के द्वारा खरीदा और उस जमीन पर आजीवन दखलकार रहे। जगदम्ब प्रसाद सहाय अपनी विधवा पत्नी एवं पुत्री रूकमिनी देवी को छोड़कर मर गये। जगदम्ब प्रसाद सहाय की मृत्यु के बाद इस जमीन पर उनकी विधवा पत्नी एवं पुत्री का दखल कब्जा हुआ। जगदम्ब प्रसाद सहाय की विधवा पत्नी भी अपनी पुत्री रूकमिनी देवी को छोड़कर मर गयी। रूकमिनी देवी अपने पुत्र कार्तिक प्रसाद को छोड़कर मर गयी। इस तरह से इस जमीन पर जगदम्ब प्रसाद सहाय के नाती कार्तिक प्रसाद का हक अधिकार एवं दखल कब्जा हुआ। कार्तिक प्रसाद ने मौजा–महुली के खाता सं0–137 खेसरा सं0–925 रकवा–1.32 एकड़ जमीन में से 52 डी0 जमीन निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक 23.05.1990 को पुनरीक्षणकर्ता गोपाल साव को बेच दिया। इस जमीन पर गोपाल साव, जगदम्ब प्रसाद सहाय के वटाईदार के रूप में इस बिक्री के पूर्व से ही दखलकार चले आ रहे हैं। गोपाल साव ने इस जमीन के दाखिल खारिज के लिए अंचल अधिकारी, खैरा के यहाँ दाखिल खारिज वाद सं0–343 / 92–93 दायर किया जिसमें जाँचोपरान्त अंचल अधिकारी, खैरा द्वारा दिनांक 24.07.1992 को गोपाल साव के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति प्रदान किया गया। दाखिल खारिज के उपरांत गोपाल साव के नाम से जमाबंदी कायम किया गया और मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। युगेश्वर प्रसाद	

भूतपूर्व जमीन्दार का पटवारी था। युगेश्वर प्रसाद ने जगदम्ब प्रसाद सहाय की अनुपस्थिति में अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा लिया, जो गलत है, क्योंकि जगदम्ब प्रसाद सहाय ने अपने भाई से अलग होने के बाद अपने पर्सनल फंड से यह जमीन खरीदा था, इसलिए यह जगदम्ब प्रसाद सहाय की स्वअर्जित संपत्ति थी। इस जमीन पर विपक्षी या उनके पिता का कभी हक अधिकार या दखल कब्जा नहीं हुआ। विपक्षी शम्भु प्रसाद उर्फ शम्भु प्रसाद सहाय पिता–स्व0 युगेश्वर प्रसाद ने दाखिल खारिज वाद सं0–343/92–93 में अंचल अधिकारी, खैरा के आदेश दिनांक 24.07.92 के विरूद्ध 13 वर्षो के बाद उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–14/05 दायर किया गया, जो कालबाधित है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा न तो स्थल जाँच किया गया और न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर कोई विचार किया गया। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा दखल कब्जा के बिन्दु पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और दाखिल खारिज वाद सं0–343/92–93 में पारित अंचल अधिकारी, खैरा के आदेश दिनांक 24.07.92 को निरस्त कर दिया गया। अतः दाखिल खारिज अपील वाद सं0–14/05 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 17.09.2006 गलत है इसे निरस्त किया जाय।

2. विपक्षी अनुपस्थित हैं। विपक्षी के द्वारा समर्पित जवाब में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि जगदम्ब प्रसाद विपक्षी मसो0 श्यामा देवी के पति के चाचा थे, जिन्होंने मौजा–महुली के खाता सं0–137 खेसरा सं0–925 रकवा 1.32 एकड़ जमीन भीखन साव (अपीलार्थी के दादा) से दिनांक 10.07.1926 को निबंधित केवाला के द्वारा खरीद किया और दखल में आये। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि जगदम्ब प्रसाद अपने पीछे विधवा पत्नी एवं पुत्री रूकमिनी देवी को छोड़कर मर गये और मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान का दखल कब्जा बना हुआ है। सच यह है कि जगदम्ब प्रसाद निःसंतान मरे। इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त जमीन पर श्यामा देवी के ससुर युगेश्वर प्रसाद का दखल कब्जा हुआ और पंजी–II में उनका नाम दर्ज हुआ तथा लगान रसीद कटता रहा। मसो0 श्यामा देवी के ससुर युगेश्वर प्रसाद ने अपने जीवनकाल में समर साव पे0–केवल साव एवं मथुरा मंडल पे0–गोनू मंडल सा0–महुली को उक्त जमीन में से क्रमशः 56 डी0 एवं 33 डी0 जमीन निबंधित केवाला के द्वारा बेच दिया जिसपर उपरोक्त केता एवं उनके वारिसान का दखल कब्जा है तथा मालगुजारी रसीद कट रही है। मसो0 श्यामा देवी के पति शम्भु प्रसाद ने भी उमेश प्रसाद साव पे0–धनेश्वर साव सा0–महुली एवं सब्बीर मियाँ पे0–हदीक मियाँ सा0–बानपुर को उपरोक्त जमीन में से 18 डी0 एवं 14 डी0 जमीन निबंधित केवाला के द्वारा बेच दिया जिसपर केतागण का दखल कब्जा है। कार्तिक प्रसाद पे0–परमेश्वर

दयाल साकिन–बसैरिया पो0–चौपारण जिला–कोडरमा (झारखण्ड) ने अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 23.05.1990 को जगदम्ब प्रसाद का नाती बनकर जमीन लिख दिया, जबकि जगदम्ब प्रसाद निःसंतान थे। अपीलार्थी ने हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर गलत रिपोर्ट तैयार करवाया तथा जमीन की वस्तुस्थिति एवं स्थल जाँच किए वगैर अंचल अधिकारी, खैरा को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया और अंचल अधिकारी, खैरा के द्वारा इसकी गहन जाँच एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत किए बिना एक फर्जी केवाला के आधार पर 52 डी0 जमीन का दाखिल खारिज वाद सं0–343/92–93 में अपीलार्थी के नाम से जमाबंदी कायम करने का आदेश पारित कर दिया, जो गलत है। जिसकी पुष्टि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई ने भी किया है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाय।

3. इस पुनरीक्षण वाद में विपक्षी हाजिर होने के उपरान्त लगातार अनुपस्थित रहे हैं। अतः पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन पर एकपक्षीय सुनवाई की गयी। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने पुनरीक्षण का आधार यह बनाया है कि निम्न न्यायालय ने मात्र संभावनाओं के आधार पर आदेश पारित किया है। उन्होंने यह आधार भी बनाया है कि श्री जगदम्ब प्रसाद ने प्रश्नगत भूमि अपने स्वयं की आय से खरीदी थी और अपने भाई युगेश्वर प्रसाद से अलग होने के बाद कय की है। इन्होंने यह भी कहा है कि चूँकि जगदम्ब प्रसाद को कोई पुत्र नहीं था तो उनके बाद उनकी बेटी ही वारिश हुई और पुनरीक्षणकर्ता ने प्रश्नगत भूमि श्री जगदम्ब प्रसाद के नाती से केवाला लेकर स्वत्व, अधिकार एवं दखल कब्जा प्राप्त किया था। कय करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, खैरा के यहाँ दाखिल खारिज वाद सं0–343/92–93 के माध्यम से उनकी जमाबंदी कायम हुई। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय ने इन तथ्यों को दरकिनार करते हुए अंचल अधिकारी के आदेश दिनांक 24.07.92 को निरस्त कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि निम्न न्यायालय ने दखल कब्जा आदि की जाँच किये वगैर ही आदेश पारित किया है और निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल वाद कालबाधित भी है।

निम्न न्यायालय के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि वाद का ग्रहण करते समय विलम्ब को क्षान्त किया गया है, किन्तु निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल खारिज वाद में पारित निर्णय के अभिलेख के आदेश पत्रक की प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अंचल कार्यालय द्वारा स्थल जाँच कराने के बाद ही दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश में श्री जगदम्ब प्रसाद सहाय की समूची सम्पत्ति का जिक किया गया है किन्तु वाद मात्र खाता–137 खेसरा–925 रकवा–52 डी0 की जमीन से संबंधित है। निम्न न्यायालय ने यह भी लिखा है कि अंचल अधिकारी द्वारा बिना स्थल

जाँच किए ही आदेश पारित किया गया है, वह भी सही नहीं है जैसा कि अंचल अधिकारी के दाखिल खारिज वाद सं0–343/92–93 के आदेश पत्रक की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है। बिना समुचित आधार के निम्न न्यायालय द्वारा 14 साल पुरानी जमांबदी निरस्त की गई है जो उचित नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है और विपक्षी को निदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि पर दावा करते हैं तो उन्हें सक्षम प्राधिकार व्यवहार न्यायालय की शरण में जाना चाहिए।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

13/5/16
समाहर्त्ता,
जमुई।

13/5/16
समाहर्त्ता,
जमुई।